

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

डॉ. एस. सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक-30-11-2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 की कड़िका-2 में प्रावधान है कि सभी प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नांकित प्रकार से राशि का आवंटन किया जाना है :-

- (क) पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक बजट से प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत
- (ख) पहली अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का 32 प्रतिशत अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65 प्रतिशत तक
- (ग) पहली दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित राशि का 35 प्रतिशत अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शत प्रतिशत।

नियमानुसार कोषागार से उतने ही राशि की निकासी की जानी है, जितना सृजित दायित्व यथा संपादित कार्य, आपूरित वस्तु एवं लाभार्थी को नियमानुसार देय राशि के विरुद्ध आवश्यक राशि भुगतान करना आवश्यक है। अनावश्यक राशि की निकासी कर बैंक खाते में park नहीं किया जाना है। इस संबंध में बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 एवं 177 प्रासंगिक है।

उक्त परिस्थिति में विभागीय आवश्यकता, संसाधन उपलब्धता के दृष्टिकोण से वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में शत-प्रतिशत एवं राज्य स्कीम मद में प्रतिशत बंधेज को 75 प्रतिशत तक शिथिल इस शर्त के साथ किया जाता है कि कोषागार से उतने ही राशि की नियमानुसार निकासी किया जाए, जितना नियमानुसार तुरत भुगतान हेतु आवश्यक हो। अनावश्यक राशि बैंक खाते में park नहीं किया जाए।

इस संबंध में यह भी सूचित करना है कि राज्य स्कीम मद में जिन माँग संख्या के अन्तर्गत संबंधित विपत्र कोड के अधीन संबंधित विषय शीर्षों में वित्त विभागीय विशिष्ट आदेश के तहत पूर्व में 75 प्रतिशत से अधिक का शिथिलीकरण दिया गया है तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत संदर्भित विपत्र कोड/विषय शीर्ष में शत-प्रतिशत शिथिलीकरण पूर्व में दिया गया हो, वैसे मामलों में पूर्व में प्रदत्त शिथिलीकरण आदेश यथावत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन

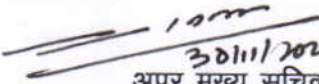
(डॉ. एस. सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-21/2021(खण्ड)-11291/वि०

पटना, दिनांक-30-11-2022

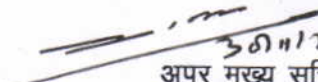
प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/11/2022
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-21/2021(खण्ड)-11291/वि०

पटना, दिनांक-30-11-2022

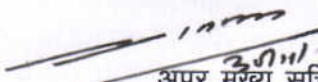
प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, बिहार/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/11/2022
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-21/2021(खण्ड)-11291/वि०

पटना, दिनांक-30-11-2022

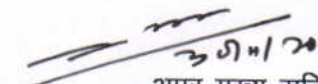
प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


30/11/2022
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:-एम-4-21/2021(खण्ड)-11291/वि०

पटना, दिनांक-30-11-2022

प्रतिलिपि:-श्री संजीव मित्तल, उप सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/श्री अजय कुमार ठाकुर, उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव, प्रभारी CFMS/श्री प्रकाश चंद्र मिश्र, प्रभारी TCS, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/11/2022
अपर मुख्य सचिव